

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ ( R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 41/2014 वाद  
GCMS No. - 2016/00256

श्रीमती मोहनीबाई धर्मपत्नि स्व० देवीलाल जाति माली उम्र व्यस्क निवासी  
रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा।

- वादिया

// बनाम //

1. श्री बगदीराम पुत्र श्री गमेराजी जाति माली उम्र व्यस्क निवासी रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
2. श्रीमति बदामबाई धर्मपत्नि श्री नानुरामजी एवं पुत्री श्री गमेराजी जाति माली उम्र व्यस्क निवासी मड्डा गुलफरोशान तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
3. श्री राजमल पुत्र श्री देवीलालजी जाति माली उम्र व्यस्क निवासी रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
4. श्री भरत पुत्र श्री देवीलालजी जाति माली उम्र नाबालिग 15 वर्ष निवासी रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० जरिये सरपरस्त राजमल पुत्र श्री देवीलालजी जाति माली निवासी रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा (भाई हकिकी)
5. श्रीमति बेनकी धर्मपत्नि श्री मदनलालजी पुत्री श्री देवीलालजी जाति माली उम्र व्यस्क निवासी रानीखेडा हा०मु० नदी के ढावा बड के पास अटाना तहसील जावद जिला नीमच म०प्र०।
6. श्रीमति भुरीबाई धर्मपत्नि श्री भेरुलाल पुत्री श्री देवीलालजी जाति माली उम्र व्यस्क निवासी रानीखेडा हा०मु० कानोड दरवाजा बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

.....प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली आज दिनांक को वादिया के अधिवक्ता श्री ऋषभ कुमार सेठिया एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ एवं प्रतिवादी नम्बर 3 से 6 के अधिवक्ता श्री इन्दरलाल भाम्बी की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा रानीखेड़ा पटवार हल्का रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2077-2080 की खाता संख्या 290 की आराजी नम्बर 644/818 रकबा 800 में से वादिया एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के नाम दर्ज 50/61 हिस्सा सम्पत्ति से वादिया मोहनीबाई धर्मपत्नी स्व० देवीलाल जाति माली निवासी रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा के नाम खातेदारी की घोषित जाती है तथा वादग्रस्त आराजियात में से

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा  
मोहजीबाई बचाम बचदीराम तगैराह  
प्रकरण संख्या - 41/2014 वजे  
GCMS NO. - 2018/00258

प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेडा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आज दिनांक 04.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

by 4/9/23

रमेश सीरवी पुनाडियॉ  
सहायक कलक्टर,  
निम्बाहेडा